सत्यमेव जयते

भारत सरकार

**Government of India**

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

**National Commission for Scheduled Tribes**

(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

प. सं – 44/1/एनसीएसटी/2017–प्रशासन दिनांक – 11.01.2019

## कार्यालय–आदेश

आयोग के सचिव महोदय द्वारा दिनांक – 10.01.2019 एवं 11.01.2019 को प्रातः 10.00 बजे कार्यालय भवन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय की सफाई व्यवस्था, कार्मिकों के समय पर कार्यालय नहीं आने तथा ऊर्जा दुरुपयोग पर अंसतोष व्यक्त किया गया है।

अतः सभी अधिकारियों / कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय समय पर आने / जाने (9.30 पूर्वान्ह से 6.00 सायं तक) की अनुपालना करें। सभी कार्मिकों के लिए बायोमैट्रिक्स अनिवार्य है, कार्यालय उपस्थिति की गणना बायोमैट्रिक्स उपस्थिति के आधार पर ही की जायेगी। बायोमैट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही वेतन के आहरण की कार्रवाई की जायेगी। सभी अधिकारी / कर्मचारी अनावश्यक रूप से विद्युत उपकरणों को चालू नहीं रखें तथा अपने कक्ष की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करें। माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के दौरे पर होने की स्थिति में भी निजी स्टाफ उनके कक्षों की सफाई व्यवस्था नियमित रूप से करवायें, सफाई के उपरान्त कक्षों के द्वार पर ताला लगवाया जाये।

कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के किसी भी प्रकार का अवकाश, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना लेने की स्थिति में केन्द्रीय सिविल सेवा नियमों के अनुसार प्रशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

(राकेश कुमार दुबे)
सहायक निदेशक (प्रशासन)

प्रति – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष।
2. निजी सचिव, माननीय उपाध्यक्ष।
3. निजी सचिव, माननीय सदस्य (एच. के. डी./एच. सी. वी./एम. सी. आई.)
4. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव कार्यालय
5. निजी सचिव, संयुक्त सचिव कार्यालय
6. उपसचिव (अनुसंधान एकक – 1,2,)/निदेशक (अनुसंधान एकक – 3)
7. अवर सचिव (स्थापना)
8. सहायक निदेशक (प्रशासन/समन्वय/अनुसंधान एकक – 1,2)
9. अनुसंधान अधिकारी (अनुसंधान एकक – 4)
10. सभी परामर्शक / आंकड़ा प्रविष्टि /परिचारक / वाहन चालक / केयर टेकर

6th Floor, 'B' Wing Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi -110003, website ::/ncst.nic.in
Tel. : 011-24657271, 011-24620638 Fax : 011-24624628, 011-24604689, Toll Free 1800117777